

#### (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

विभाग द्वारा कार्याधीन योजनाओं/अनुश्रवण संबंधी कार्यों एवं विभाग द्वारा निष्पादित कार्य की समीक्षा करने/सुचारू रूप से कार्यों के निष्पादन हेतु विभागीय प्रशासन एवं उसके ढँचे में सुधार के लिए सुझाव देने/कार्य प्रगति में तीव्रता तथा प्रशासन में मितव्ययिता लाने के निमित विभाग द्वारा अपनायी गयी सामान्य नीति एवं कार्यक्रम पर परामर्श देने/भविष्य में विकास कार्य के लिए योजना तैयार करने हेतु संसदीय कार्य विभाग, बिहार के ज्ञाप संख्या—सं0 का (पी0ए0—1039 / 77—700 दिनांक—11.10.1985) द्वारा प्रत्येक विभाग को परामर्श दातृ समिति का गठन (द्वादश विधान सभा के बाद) अधिसूचना संख्या—5807 (एस) दिनांक—25.08.2001 द्वारा किया गया था।